

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर

पत्रांक :- 44 / 14-10 (FP/UP/ Road/121197/2021) सहारनपुर दिनांक, 01.07.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायाँ पटरी कि०मी० चैनल 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

- 1- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ.सी./४०३ दिनांक-21.09.2021।
- 2- आपका का पत्रांक-3696/11सी- FP/UP/ Road/121197/2021 दिनांक 23.06.2022।
- 3- प्रांतीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 29/14-1 दिनांक 01.07.2022।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायाँ पटरी कि०मी० चैनल 51.90 से 163.40 तक मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं०-8बी/यू० पी०/०६/२२१/२०२१/एफ.सी./४०३ दिनांक-21.09.2021 द्वारा कतिपय अभिलेखों/सूचनाओं की वांछना की गयी थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3350/14-1 दिनांक 20.06.2022 द्वारा भारत सरकार के संदर्भित दिनांक-21.09.2021 के अनुपालन में आवश्यक अभिलेख/अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई, उक्त क्रम में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.06.2022 द्वारा प्रकरण अभिलेख/अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई, उक्त क्रम में प्रांतीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा संबंधित प्रभागों में कतिपय अपत्ति लगाई गई जिसके क्रम में प्रांतीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा संबंधित प्रभागों (सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर एवं मिर्जापुर वन प्रभाग) से वांछित अभिलेख प्राप्त करते हुये अपने पत्रांक 29/14-1 दिनांक 01.07.2022 द्वारा निम्नवत आख्या/आपत्तियों का निराकरण प्रेषित किया गया है:-

क्र०सं०	नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के स्तर से लगाई गई आपत्ति	निराकरण/अनुपालन की स्थिति
1	भारत सरकार की आपत्ति सं०-1 का पूर्णतया निराकरण नहीं किया गया है। आपके द्वारा भारत सरकार की आपत्ति सं०-1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ललितपुर वन प्रभाग में दी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 223 हे० गैर वनभूमि का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के०एम०एल० फाईल के स्थान पर मात्र 41 हे० गैर वनभूमि का ही विवरण एवं जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के०एम०एल० फाईल, संलग्न कर आनलाईन भाग-1 में अपलोड किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ललितपुर वन प्रभाग में दी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 223 हे० गैर वन भूमि का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप टोपोशीट एवं के०एम०एल० फाईल की हार्ड कापी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें तथा ऑन लाइन भाग-1 में अपलोड करें।	223.0 हे० गैर वन भूमि का समस्त विवरण के०एम०एल०फाईल सहित भाग-I में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर दिया गया है एवं हार्ड कॉपी में संलग्न किया गया है।
2	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के पत्रांक-वी०आई०पी०-23/14-2-2019 - 190 ^{जी} /2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी एवं प्रांतीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	गैर वन भूमि के संबंध में शासन के पत्र दिनांक-28.06.2019 के अनुपालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र आख्या के साथ संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ललितपुर वन प्रभाग में दी जा रही 223 हे० गैर वन भूमि में मात्र 41 हे० गैर वन भूमि ही वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त पायी गयी 182 हे० गैर वन भूमि के सापेक्ष मीरजापुर वन प्रभाग में 182 हे० अवनत वन भूमि प्रस्तावित की गयी है जिसके क्रम में 182 हे० अवनत वन भूमि का प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। आपके द्वारा 182 हे० अवनत वन भूमि का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के०एम०एल० फाईल अलग से संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है। अतः 182 हे० अवनत वन भूमि का	182 हे० अवनत वन भूमि से संबंधित जियो रिफ्रेन्सड मैप, एस०ओ०आई०टोपोशीट आख्या के साथ संलग्न करते हुए ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, साथ ही समस्त नक्शे एवं के०एम०एल० फाईल आख्या के साथ संलग्न सी०डी० में प्रेषित है।

circle letter new 2021

Page 322

जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल अलग से संलग्न करें तथा ऑनलाईन पार्ट-2 में अपलोड करें।	
--	--

उक्त के अतिरिक्त प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.07.2022 द्वारा उक्त प्रकरण में निम्नवत अभिलेख संलग्न किये गये हैं:-

(The Proposal is for construction for new Road, so NFL has to be provided for CA since the implementing agency is State Government .)

- 1-जनपद ललितपुर में उपलब्ध करायी गयी 223.0 है0 गैर वन भूमि से संबंधित गाटावार अभिलेख (संलग्नक-1)।
- 2-जनपद ललितपुर में उपलब्ध करायी गयी 223.0 है0 गैर वन भूमि में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी 41.36 है0 गैर वन भूमि एवं शेष 182.0 है0 अनुपयुक्त गैर वन भूमि के संबंध में आख्या। (संलग्नक संख्या-2)
- 3-प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का 223.0 है0 गैर वन भूमि के संबंध में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र। (संलग्नक संख्या-3)
- 4-प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मिर्जापुर का क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 182.0 है0 अवनत वन भूमि के संबंध में पत्र एवं लैण्ड सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट (संलग्नक संख्या-4)

(Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.)

- 5- मार्ग के नवनिर्माण का कार्य किया जाना है। अतः Muck disposal सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न Muck disposal से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है (संलग्नक संख्या-5)

(Roadside plantation Scheme (as approved by concerned DFO) needs to be submitted.)

- 6-सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान नहर पटरी से हटकर समान्तर अवशेष ROW में 2 लेन मार्ग निर्माण, तटबन्ध निर्माण की NOC दी गयी है। मार्ग निर्माण उपरान्त ROW (भूमि) शेष न बचने के कारण वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा सकता है। इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक संख्या-6)

उक्त के अतिरिक्त जनपद ललितपुर में उपलब्ध करायी गयी 223.0 है0 गैर वन भूमि में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी 41.36 है0 गैर वन भूमि एवं शेष 182.0 है0 अनुपयुक्त गैर वन भूमि के 12 जियो रेफ्रेन्सड मैप (संलग्नक संख्या-7), 05 एस0ओ0आई0 टोपोशीट (संलग्नक संख्या-8), लैण्ड सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट व गैर वन भूमि से संबंधित अन्य अभिलेख (संलग्नक संख्या-9), जनपद ललितपुर में उपयुक्त पायी गयी 41.36 है0 गैर वन भूमि की क्षतिपूरक वृक्षारोपण की परियोजना। (संलग्नक संख्या-10), के0एम0एल0फाईल (संलग्नक संख्या-11), सी0डी0 जिसके अन्तर्गत समस्त नक्शों की स्कैण्ड कॉपी है), प्रस्ताव का संशोधित भाग-1 (संलग्नक संख्या-12), प्रस्ताव का संशोधित भाग-2 (संलग्नक-13), मिर्जापुर वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 182.0 है0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजना (संलग्नक संख्या-14), 182.0 है0 अवनत वन भूमि का लैण्ड सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट (संलग्नक संख्या-15), 182.0 है0 अवनत वन भूमि के जियो रेफ्रेन्सड मैप (संलग्नक संख्या-16), 182.0 है0 अवनत वन भूमि एस0ओ0आई0 टोपोशीट (संलग्नक संख्या-17) एवं शासनादेश सं0-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190 जी0/2018 दिनांक-28.06.2019 द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र। (संलग्नक संख्या-18)

अतः आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-23.06.2022 के क्रम में वांछित अभिलेख (पूर्व में प्रेषित अभिलेखों की संलग्नक संख्या को जारी रखते हुए) 03 प्रतियों में में उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार (सी0डी0सहित)

भवदीय
(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 44 / 14-10 (FP/UP/ Road/121197/2021) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ।
- 2-वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ।
- 3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
- 4-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
- 5-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ।

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।